प्रेस नोट　　　　　पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद　　　　　दिनांक 06.01.2025

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान हत्या के अभियोग में वांछित 01 अभियुक्त पुलिस मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार, कब्जे से 01 तमन्चा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व आलाकल्ल रक्तरंजित चाकू बरामद।

आज दिनांक 06.01.2025 को थाना कौशांबी पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान के 2/5 वैशाली की पुलिया पर एक संदिग्ध व्यक्ति आता हुआ दिखायी दिया जिसे रुकने के लिये कहा तो यह एलिवेटिड रोड के नीचे कच्ची सड़क पर भागने लगा। बदमाश का शक होने पर उसका पीछा किया गया तो उसने पुलिस पार्टी पर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया। आत्मरक्षार्थ पुलिस पार्टी की फायरिंग में अभियुक्त को पैर में गोली लगी। पूछताछ करने पर उसने अपना नाम नीरज पुत्र ब्रह्म सिंह नि0 धीरु का मकान ग्रा0 भोवापुर थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्रा0 कल्याणपुर थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 35 वर्ष बताया और बताया कि वह आज उस चाकू को नष्ट करने के लिये जा रहा था, जिससे उसने दिनांक 31.12.2024 की रात को सोनी की हत्या की थी। उपरोक्त अभियुक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर वादी श्री सुनील पुत्र राजेन्द्र नि0 धीरू का मकान ग्रा0 भोवापुर थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद की तहरीर के आधार पर मु0अ0स0 01/25 धारा 103 बीएनएस बावत बादी की पुत्री सोनी उम्र 20 वर्ष की हत्या करने के सम्बंध में पंजीकृत है, उक्त अभियोग में वांछित अभियुक्त नीरज उपरोक्त को 2/5 वैशाली की पुलिया से एलिवेटिड रोड के नीचे पिलर के पास हुई पुलिस मुठभेड में मय 01 तमन्चा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व आलाकल्ल रक्तरंजित चाकू सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण

गिरफ्तार अभियुक्त नीरज पुत्र ब्रह्म सिंह से सख्ती से पुछताछ करने पर उसने बताया कि मैं सोनी का रिश्ते में चचेरा फूफा लगता हूँ। मेरी शादी को करीब 13-14 साल हो गये है। मेरे 04 बच्चे है। मैं अपने परिवार के साथ ग्रा0 भोवापुर में करीब 05 साल से रह रहा हूं और से0 68 नोएडा में कपडे सिलने का काम करता हूँ और ग्रा0 भोवापुर में भी घर पर सिलाई का काम करता हूँ। सोनी कौशाम्बी में कोठियों में काम करती थी और उसके बाद मेरे साथ सिलाई का काम भी करती थी, हमें साथ काम करते हुए करीब 05 साल हो गये थे। सोनी और मेरी नजदीकियां काफी बढ़ चुकी थी। मैंने सोनी के साथ कई बार उसकी मर्जी से शारिरिक सम्बंध बनाये थे लेकिन कुछ दिन पहले सोनी की शादी फरीदाबाद से तय हो गयी थी। सोनी को अपना होने वाला पति पसन्द नही था, सोनी मुझ पर शादी करने का दबाव बनाने लगी थी। मेरे मना करने पर आत्महत्या करने व मुझे जेल भिजवाने की धमकी देने लगी थी। दिनाक 31.12.2024 को सोनी ने मुझे आत्महत्या की धमकी देते हुए मिलने के लिये बुलाया जिसके बाद मैं मिलने के लिये गया और हम दोनों पोडियम पार्क वैशाली चले गये। वहां पर सोनी मुझ पर शादी करने का दबाव बनाने लगी और कहने लगी कि मुझे अभी भगाकर ले चलों अपना परिवार व अपने बच्चो को बर्बाद होने के डर से मैंने चाकू से सोनी पर ताबड़तोड़ वार कर दिये, जब मुझे लगा कि सोनी मर गयी है तब मैं सोनी को छोड़कर अपनी फैक्ट्री नोएडा वापस भाग गया था। आज मैं घटना में प्रयुक्त चाकू को नष्ट करने आया तो आप लोगों ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

नीरज पुत्र ब्रह्म सिंह नि0 धीरु का मकान ग्रा0 भोवापुर थाना कौशाम्बी जनपद गाजियाबाद मूल निवासी ग्रा0 कल्याणपुर थाना जहांगीराबाद जनपद बुलन्दशहर उम्र करीब 35 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

01 तमन्चा, 01 जिन्दा कारतूस, 01 खोखा कारतूस व आलाकत्ल रक्तरंजित चाकू बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त नीरज उपरोक्त के विरुद्ध थाना कौशाम्बी पर 02 अभियोग पंजीकृत हैं व अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पलिस टीम

थाना कौशाम्बी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी का ई-रिक्शा बरामद।

दिनांक 05.01.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान वाहन चोरी करने वाले 02 अभियुक्तों 1. सोनू पुत्र बाबूराम निवासी झुग्गी झोंपडी सेक्टर-2(सी) वसुंधरा थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद वर्तमान पता झुग्गी झोपडी कनावनी पुलिया वसुंधरा चौकी के पीछे थाना इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष .2 आजाद पुत्र बाबूदीन निवासी झुग्गी झोंपडी सेक्टर-2(सी) वसुंधरा थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद वर्तमान पता झुग्गी झोपडी कनावनी पुलिया वसुंधरा चौकी के पीछे थाना इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष को चौकी क्षेत्र बंथला से गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद से चोरी किया गया 01 ई-रिक्शा बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना लोनी पर धारा 317(2)/317(5) बीएनएस के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमने यह ई-रिक्शा दिनांक 02-01-2025 को वसुंधरा इंदिरापुरम से चोरी किया था। आज हम इस चोरी के ई-रिक्शा को बेचने की फिराक में निकले थे कि पुलिस चेकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सोनू पुत्र बाबूराम निवासी झुग्गी झोंपडी सेक्टर-2(सी) वसुंधरा थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद वर्तमान पता झुग्गी झोपडी कनावनी पुलिया वसुंधरा चौकी के पीछे थाना इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उम्र करीब 22 वर्ष।

.2 आजाद पुत्र बाबूदीन निवासी झुग्गी झोंपडी सेक्टर-2(सी) वसुंधरा थाना इंदिरापुरम गाजियाबाद वर्तमान पता झुग्गी झोपडी कनावनी पुलिया वसुंधरा चौकी के पीछे थाना इंदिरापुरम, गाजियाबाद, उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से चोरी का 01 ई-रिक्शा बरामद।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त वाहन चोरी के संबंध में थाना इंदिरापुरम पर 01 अभियोग पंजीकृत है तथा उपरोक्त चोरी का वाहन बरामदगी के संबंध में थाना लोनी पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली टीम -

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी पुलिस द्वारा जुआ खेलने वाले 05 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 9100/- रुपये व 52 ताश के पत्ते बरामद।

दिनांक 05.01.2025 को थाना लोनी पुलिस टीम द्वारा मुखबिर की सूचना के आधार पर बंथला पुल के नीचे खाली पडे मैदान में पिलर की आड में चौकी क्षेत्र कस्बा थाना लोनी से जुआ खेलने वाले 05 अभियुक्तों 1.राहुल पुत्र शौकीन निवासी कंचन पार्क लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष 2.राजू पुत्र फिरोज निवासी कंचन पार्क लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष 3. चमन पुत्र असगर निवासी बागराणप थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 39 वर्ष 4. अफसर पुत्र रहीसुद्दीन निवासी कंचन पार्क थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष 5. अरशद पुत्र दिलशाद निवासी प्रशांत विहार रुपनगर थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से कुल 9100/- रुपये व 52 ताश के पत्ते बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना लोनी पर धारा 13 जुआ अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हम अपने शौक पूरे करने के लिये जुआ खेलते हैं। हम बंथला पुल के नीचे जुआ खेल रहे थे कि पुलिस ने पकड़ लिया।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. राहुल पुत्र शौकीन निवासी कंचन पार्क लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष।
2.राजू पुत्र फिरोज निवासी कंचन पार्क लोनी थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।
3. चमन पुत्र असगर निवासी बागराणप थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 39 वर्ष।
4. अफसर पुत्र रहीसुद्दीन निवासी कंचन पार्क थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 30 वर्ष।
5. अरशद पुत्र दिलशाद निवासी प्रशांत विहार रुपनगर थाना लोनी गाजियाबाद, उम्र करीब 28 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्तों के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी पर जुआ अधिनियम का 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कुल 9100/- रूपये व 52 ताश के पत्ते।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना लोनी पुलिस टीम।

थाना लोनी बॉर्डर पुलिस द्वारा 02 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 01 अवैध 7.65MM पिस्टल व 03 जिन्दा कारतूस बरामद।

आज दिनांक 06.01.2025 को थाना लोनी बॉर्डर पुलिस टीम द्वारा संदिग्ध व्यक्ति व वाहन चेकिंग के दौरान गोकुलपुर वाले रास्ते पर गौशाला से आगे मैट्रो पिलर के पास से 02 अभियुक्तों 1. जयकुमार उर्फ अनुज पुत्र लक्ष्मण भारती निवासी गली न0-15 फेस-4 शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली, उम्र करीब 21 वर्ष 2. करन पुत्र अशोक निवासी गली न0-15 फेस-4 शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली, उम्र करीब 20 वर्ष को गिरफ्तार किया गया जिनके कब्जे से 01 अवैध 7.65MM पिस्टल व 03 जिन्दा कारतूस बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरुद्ध थाना लोनी बॉर्डर पर धारा 3/25 आयुध अधिनियम के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ के दौरान बताया कि हमने यह पिस्टल लोगों में रोब जमाने के लिए अपने पास रखी थी। आज हम यह पिस्टल लेकर घूम रहे थे कि पुलिस चोकिंग में पकड़े गये।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. जयकुमार उर्फ अनुज पुत्र लक्ष्मण भारती निवासी गली न0-15 फेस-4 शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली, उम्र करीब 21 वर्ष।
2. करन पुत्र अशोक निवासी गली न0-15 फेस-4 शिव विहार थाना करावल नगर दिल्ली, उम्र करीब 20 वर्ष।

आपराधिक इतिहास/ पंजीकृत अभियोग -

अभियुक्तगण के विरुद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना लोनी बॉर्डर पर 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से 01 अवैध 7.65MM पिस्टल व 03 जिन्दा कारतूस बरामद।

गिरफ्तार करने वाली टीम –

थाना लोनी बोर्डर पुलिस टीम।

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त गिरफ्तार।

दिनांक 19.12.2024 को थाना ट्रोनिका सिटी पर वादी द्वारा तहरीर दी गई कि थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्रान्तर्गत स्थित खसरा सं0 713, ग्राम मीरपुर हिन्दू में एक प्लाट को अभियुक्त हिमांशु उर्फ अफजल उर्फ अफसान पुत्र निजामुद्दीन निवासी काजीवाडा जिला हापुड़ हाल निवासी जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट-3 बदरपुर साउथ दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष द्वारा अपने अन्य 02 साथियों के साथ मिलकर धोखाधडी करके फर्जी दस्तावेज तैयार कर फर्जी बैनामा कराकर प्लाट देने के नाम पर वादी से 3,52,000/- रूपये हड़प लेना । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना ट्रोनिका सिटी पर घटना पुरानी होने के कारण भादवि की धारा 406/420/467/468/471/120(बी) के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था। तत्पश्चात दिनांक 05.01.2025 को थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम द्वारा धोखाधड़ी के अभियोग में वांछित अभियुक्त हिमांशु उर्फ अफजल उर्फ अफसान पुत्र निजामुद्दीन निवासी काजीवाडा जिला हापुड़ हाल निवासी जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट-3 बदरपुर साउथ दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष को मुखबिर की सूचना पर थाना ट्रोनिका सिटी क्षेत्र के पावी सादकपुर से गिरफ्तार किया गया। अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ के दौरान बताया कि मैंने अपने साथियों के साथ मिलकर सत्यम चौक चौहान पट्टी बस स्टैण्ड नियर सोनिया विहार पुस्ता पर एमएमके एसोसिएट एण्ड बिल्डर्स के नाम से प्रोपर्टी (प्लाट खरीदने/बेचने) का ऑफिस खोलकर विभिन्न माध्यमों

से प्रचार प्रसार किया था। मेरे पास प्लाट खरीदने के लिए कई लोग आये थे मैंने उपरोक्त मुकदमे के वादी को खसरा न0 713 ग्राम मीरपुर हिन्दू में 40 वर्ग गज का प्लाट दिखाया था तथा हमने प्लाट के फर्जी दस्तावेज तैयार कराकर फर्जी रजिस्ट्री कर दी थी।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

हिमांशु उर्फ अफजल उर्फ अफसान पुत्र निजामुद्दीन निवासी काजीवाडा जिला हापुड़ हाल निवासी जैतपुर एक्सटेंशन पार्ट-3 बदरपुर साउथ दिल्ली उम्र करीब 22 वर्ष।

अपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरूद्ध उपरोक्त प्रकरण के संबंध में थाना ट्रोनिका सिटी पर 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य अपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तारी करने वाली टीम –

थाना ट्रोनिका सिटी पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 मोटर साइकिल फर्जी नम्बर प्लेट सहित व लॉक तोड़ने वाली 01 चाबी बरामद।

कार्यवाही का विवरण: आज दिनांक 06.01.2025 को थाना लिंकरोड पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 01 जोनी पुत्र राजपाल निवासी ग्राम गेझा थाना परतापुर जनपद मेरठ हाल निवासी नई बस्ती शिवपुरम चांदना चौक में आनन्द के मकान में किराये पर थाना टीपी नगर जनपद मेरठ उम्र 25 वर्ष को महाराजपुर टी पाईट के पास चौकी हल्का महाराजपुर क्षेत्र से चोरी की 01 मोटर साइकिल फर्जी नम्बर प्लेट सहित व लॉक तोड़ने वाली 01 चाबी सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त जोनी पुत्र राजपाल उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 317(2),317(5),318(2) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछाताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त जोनी पुत्र राजपाल उपरोक्त से पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि अभियुक्त उपरोक्त से जो मोटर साइकिल बरामद हुई है। वह मोटर साइकिल अभियुक्त उपरोक्त द्वारा नवयुग मार्किट क्षेत्र गाजियाबाद से करीब एक सप्ताह पहले चोरी की गई थी। अभियुक्त आज इस मोटर साइकिल को बेचने की फिराक में घूम रहा था तथा फर्जी नम्बर प्लेट लगाने के बारे में जानकारी की गयी तो बताया कि पुलिस में पकड़े जाने के डर से असली नम्बर प्लेट हटाकर मैने दूसरी नम्बर प्लेट लगा दी थी ताकि मै पुलिस की पकड़ में न आ सकूँ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता

जोनी पुत्र राजपाल निवासी ग्राम गेझा थाना परतापुर जनपद मेरठ हाल निवासी नई बस्ती शिवपुरम चांदना चौक में आनन्द के मकान में किराये पर थाना टीपी नगर जनपद मेरठ उम्र 25 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

चोरी की 01 मोटर साइकिल फर्जी नम्बर प्लेट सहित व लॉक तोड़ने वाली 01 चाबी बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्त का आपराधिक इतिहास

गिरफ्तार अभियुक्त जोनी पुत्र राजपाल उपरोक्त के विरुद्ध थाना लिंकरोड़ पर चोरी का माल बरामदगी के सम्बन्ध में 01 अभियोग व थाना कोतवाली नगर गाजियाबाद में चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है। अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाले पुलिस टीम

थाना लिंकरोड पुलिस टीम।

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा 02 शातिर मोबाइल स्नैचर गिरफ्तार, कब्जे से मोबाइल स्नैचिंग/छिनैती से सम्बन्धित 5,300/- रुपये व 01 स्कूटी फर्जी नम्बर प्लेट सहित बरामद।

कार्यवाही का विवरण: आज दिनांक 06.01.2025 को थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम द्वारा चैकिंग के दौरान 02 शातिर मोबाइल स्नैचर 1. शादिक उर्फ बिट्टू पुत्र श्री स्व इलियास निवासी एफ 196 शहीद नगर मोहब्बति मस्जिद थाना साहिबाबाद मूल पता गांव बिराड जनपद शामली उम्र लगभग 35 वर्ष व 2. अरमान अली पुत्र सागर अली निवासी एच 512 शहीद नगर नियर ईदगाह थाना साहिबाबाद गाजियाबाद मूल पता गांव अशरकाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत उम्र 21 वर्ष को मोबाइल स्नैचिंग/छिनैती से सम्बन्धित 5,300/- रुपये व 01 स्कूटी फर्जी नम्बर प्लेट सहित गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त शाबिक उर्फ बिट्टू पुत्र श्री स्व इलियास व अरमान अली पुत्र सागर अली उपरोक्त के विरुद्ध अन्तर्गत धारा 317(2),317(5),345(3) बीएनएस का अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूछताछ का विवरण: गिरफ्तार अभियुक्त शाबिक उर्फ बिट्टू पुत्र श्री स्व इलियास व अरमान अली पुत्र सागर अली उपरोक्त द्वारा पूछताछ करने पर यह तथ्य प्रकाश में आए कि यह दोनों अभियुक्त रास्ते में आने-जाने वाले लोगों से फोन छीन लेते थे और दिल्ली में जाकर बेच देते थे, जो पैसा मिलता था। उससे यह दोनों आपस में बराबर-बराबर बाँट लेते थे और बताया कि कुछ दिन पहले अपनी मोटर साइकिल से डीएलएफ में अलग-अलग जगह से 02 मोबाइल फोन छीने थे। जिन्हें हमनें दिल्ली में बेचा था और मोबाइल बेचकर जो पैसा मिला था। उसमें से कुछ पैसा हम लोगों ने खर्च कर लिया बाकी जो पैसा हमारे पास से बरामद हुआ है, यह उन दोनों मोबाइल फोन को बेचकर ही मिला था।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1. शादिक उर्फ बिट्टू पुत्र श्री स्व इलियास निवासी एफ 196 शहीद नगर मोहब्बति मस्जिद थाना साहिबाबाद मूल पता गांव बिराड जनपद शामली उम्र लगभग 35 वर्ष।
2. अरमान अली पुत्र सागर अली निवासी एच 512 शहीद नगर नियर ईदगाह थाना साहिबाबाद गाजियाबाद मूल पता गांव अशरकाबाद थल थाना रमाला जनपद बागपत उम्र 21 वर्ष।

बरामदगी का विवरण

मोबाइल स्नैचिंग/छिनैती से सम्बन्धित 5,300/- रुपये व 01 स्कूटी फर्जी नम्बर प्लेट सहित बरामद।

गिरफ्तार अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास

- गिरफ्तार अभियुक्त शाबिक उर्फ बिट्टू पुत्र श्री स्व इलियास व अरमान अली पुत्र सागर अली उपरोक्त के विरुद्ध थाना शालीमार गार्डन पर मोबाइल स्नैचिंग/छिनैती व मोबाइल स्नैचिंग/छिनैती का सामान बरामद होने के सम्बन्ध में 03 अभियोग पंजीकृत है।
- गिरफ्तार अभियुक्त अरमान उपरोक्त के विरुद्ध थाना साहिबाबाद पर मोबाइल स्नैचिंग/छिनैती के सम्बन्ध में 03 अभियोग व दिल्ली में चोरी के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है।
- अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम

थाना शालीमार गार्डन पुलिस टीम।